(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निर-662-III-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

श्रीमती नगीना बेवा बाबू खॉं
निवासी–दिनारा तहसील करैरा,
जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदिका

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन
2– विनोद कुमार पुत्र भगवान दास यादव
नियासी – कुढ तहसील करैरा जिला –
शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/2014–15/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदिका श्रीमती नगीना वेवा बाबू खॉं निवासी ग्राम दिनारा द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में जनसुनवाई के दौरान दिनांक 09.06.2015 को एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था। कि ग्राम दिनारा की भूमि सर्वे क्रमांक 329 रकबा 0.02 है0 पर उसके पूर्वजों की कर्बे है यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज है। इसी भूमि से लगी भूमि सर्वे क्रमांक 334 रकबे में कुआँ है यह भूमि भी शासकीय है प्रश्नाधीन भूमियों पर ग्राम कुढ तहसील करैरा के निवासी विनोद कुमार पुत्र भगवान सिंह यादव ने बलपूर्वक कब्जा कर मकान बनाना चाहता है। उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नींव खोद ली गयी है। पूर्व में इस भूमि पर नायब तहसीलदार वृत दिनारा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 262/रीडर/08 करैरा दिनांक 05.02.2008 से आवेदिका का पक्ष सुनकर स्थगन आदेश दिया जा चुका है। अतः कब्रिस्तान पर किये जाने वाले अतिक्रमण एवं निर्माण कार्य पर रोक लगायी जावे।

2– यहकि, आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा विधिवत् रूप से प्रकरण क्रमांक 79/2014–15/बी–121 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रकरण में यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाकर तहसीलदार करैरा को निर्देशित किया गया। कि तत्काल् मौका पर जाकर अवैध अतिक्रमण को हटाकर आवश्यक कार्यवाही कर पंचनामा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नगीना/ शासन

प्रकरण कमांक निग0 662–तीन/16 **जिला –शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/3/2016	आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 89/2014–15/बी–121 में आदेश दिनांक 22–1–2016 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, के समक्ष जनसुनवाई के दौरान दिनांक 9–6–2015 को एक आवेदन पत्र इस इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम दिनारा भूमि सर्वे नं0 329 रकबा 0.02 है0 पर उसके पूर्वजों की कर्बे हैं तथा शासकीय अभिलेख में यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है । उसी भूमि से लगी भूमि सर्वे नं0 334 में एक कुंआ है और यह भी शासकीय भूमि है । इसी भूमि पर अनावेदक विनोद कुमार बलपूर्वक कब्जा कर मकान बनाना चाहता है तथा उसने प्रश्नाधीन भूमि पर नीव भी खोद ली है, अतः कब्रिस्तान पर किये जाने वाले अतिकमण एवं निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा तहसीलदार करैरा को तत्काल मौका स्थल पर जाकर अवैध अतिकमण को हटाने तथा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । तहसीलदार द्वारा 20–1–2016 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि विवादित भूमि सर्वे नं0	

R 662-III/16 शिवपुरी

329/0.02 है0 कब्रिस्तान दर्ज है, एवं सर्वे नं0 334 रकवा 0.01 है. शासकीय दर्ज है । अनावेदक विनोद कुमार का भू–खण्ड सर्वे क0 333/2 तथा शासकीय सर्वे नं0 329 तथा 334 की सीमाएं आपस में लगी हैं । जिनमें दो कब्रे तथा एक कुंआ स्थित है । उक्त सर्वे नम्बरों की सीमाएं स्पष्ट न होने से राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 दिनारा द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट में सर्वे क0 329 मौके पर खाली पड़ा होना, अनावेदक विनोद कुमार यादव के द्वारा खोदी गई नीब सर्वे क0 333/2 में स्थित होना जो उसके भूमि स्वामी स्वत्व की है, तथा अनावेदक मधुसूदन पुत्र गंगाराम भू–खण्ड के पीछे उत्तर दिशा में सर्वे नं0 333/2 में ही दो कब्रे बनी हुई होना बताया है । अपर कलेक्टर, ने उभयपक्ष अभिभाषकों के समक्ष में तर्क सुनकर तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार का आदेश उचित माना तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया । जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती तथा उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का कोई आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य